भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4464
(दिनांक 19.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

समाचार प्रसारण

4464. श्री सत्यदेव पचौरीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार, कुल कितने लाइसेंस-प्राप्त हिंदी टेलीविजन चैनल हैं;

(ख) क्या केबल-ऑपरेटर सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना समाचार का प्रसारण कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस चलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): दिनांक 31.5.2019 तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत प्राइवेट सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों की संख्या 573 है जिनमें हिंदी एक अनुमत भाषा के रूप में है।

(ख) और (ग): केबल टीवी नेटवर्क विनियमन, 1994 के नियम 6(6) के अनुसार, कोई भी केबल प्रसारक अपनी केबल सेवाओं में किसी भी ऐसे टेलीविजन प्रसारण और चैनल को नहीं दिखाएगा या शामिल करेगा जिसे भारत के क्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया हो। उपर्युक्त खंड के उल्लंघन पर सरकार द्वारा आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****